

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)  
पीठारसीन अधिकारी :- गुफुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या  
75/2019

रजू दिनांक  
19.03.2019

निर्णय दिनांक  
27.07.2023

उपवान

1 राजवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।  
वादी।

बनाम

- बाबूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- श्रीमती रूपवती पत्नी भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- सत्यपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- मामराज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- वेदपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- उपदेश पुत्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- हजारी सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- शिमूसिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- सुमेर सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- सुनीता पुत्री रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- रेखा कँवर पत्नी मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- राहुल पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- नीतू पुत्री मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- डिबिया पुत्री मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- यूनाईटेड भूमी सर्विसेज प्रा० लि० जे० 1236 पालम विहार गुडगांव जरिये डायरेक्टर ए०के० शर्मा जाती ब्राह्मण सा० जे० 1236 पालम विहार गुडगांव, हरि०
- उपपंजीयक नीमराना।
- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।  
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर०टी०एक्ट०।

—निर्णयः—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है—

- वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख० नं० हाल 2136/0.35, 2137/0.29, 2138/0.12, 2177/0.25, 2178/0.20, 2179/0.41, 2181/1.08 है० वाके ग्राम गूगलकोटा तह० नीमराना वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे ख० न० 2136, 2137, 2138, 2177, 2178, 2179 कित्ता 6 रकबा 1.62 है० के 5/16 हिस्से का खातेदार वादी तथा 5/16 हिस्से का खातेदार प्रति० संख्या 1 एवं 5/16 हिस्से के खातेदार प्रति० सं० 2 लगा. 6 का पती/ पिता

अधिकारी  
(अलवर)

भगवान सिंह व 4/5 दर 1/16 हिरसे के खातेदार प्रति 10 रां 7 लगा. 10 एवं 1/5 दर 1/16 हिरसे के खातेदार प्रति 10 रां 11 लगा. 14 है तथा ख0न0 2181/1.08 है0 के 5/32 हिरसे का खातेदार वादी तथा 5/32 हिरसे का खातेदार प्रति 10 रां 1 एवं 5/32 हिरसे के खातेदार प्रति 10 रां 2 लगां 6 का पति/पिता भगवान सिंह व 4/5 दर 1/32 हिरसे के खातेदार प्रति 10 रां 7 लगा. 10 एवं 1/5 दर 1/32 हिरसे के खातेदार प्रति 10 11 लगा. 14 है तथा 1/2 हिरसे का खातेदार प्रति 10 रां 15 है इसी अनुरार मौके पर काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है । उक्त आराजी पक्षकारान के मध्य बिना बटी हुई है सहखातेदारी कारत की आराजी है जिसका विधिवत रूप से हम पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये जब तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो जावे तब तक किसी भी खातेदार को किसी विषेश भू-भाग को अपना बताकर दिगर जगह मुंतकिल करने या किसी विषेश भू-भाग पर कब्जा कर उसमें कच्चा-पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है । लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा आराजी का बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये हि अच्छी से अच्छी आराजी जो अधिक कीमत व अधिक पैदावार वाली भूमी है उस पर जबरन कब्जा कर उसमें अपना कब्जा साबित करना चाहते है तथा निन वादी को आराजी मुतनाजा में मेरे खातेदारी हिरसे पर कारत करने में मजाहमत पैदा करते है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.01.2018 को खुली धमकी दि है कि आराजी विवादित के अच्छे से अच्छे भाग पर कब्जा करके रहेगें । प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गए तथा वे जबरन अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह मुंतकिल करने की फिराक मे है। इसलिए वादी को यह वाद तकसीम आराजी व हु0ई0दवागी पेश करना लाजिम आया है।

2. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:-
  - (क) डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की जारी की जावे की आ.ख.नं. हाल 2136/0.35, 2137/0.29, 2138/0.12, 2177/0.25, 2178/0.20, 2179/0.41, 2181/1.08 है0 वाके ग्राम मूगलकोटा तह0 नीमराना पर कुरे कायम किये जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के हिसाब से कुरे रिपोर्ट मंगवाई जाकर, उसके आधार पर आराजी विवादित तकासमा कराया जाकर अलग-अलग खाताबंदी की जाकर हाल राजस्व जमाबंदीयात मे अंकन करने एवं हाल राजस्व नक्शा मे तित्मबा काटने के आदेश फरमावे।
  - (ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईगतनाइ दवागी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बगाए रखे।
  - (ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।
  - (घ) अन्य अनुतोष जो बय राजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।
3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया वाद तामिल प्रतिवादीगण हाजिर आये परन्तु आगामी पेशीयो पर न तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुऐ तथा ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुऐ वकील वादी की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर दिनांक 19.04.2023 को वाद प्रा0डिक्री किया जाकर तहसीलदार,नीमराना से मौके पर कुरे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश दिये गये। तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2247 दिनांक 14.07.2023 के जरिये कुरे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई जो सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई,कुरे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं कि गई। कुरे कायमी रिपोर्ट के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कुरे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

4. अतः आदेश है कि:

वाद वादी शिवत तकारामा आराजी यहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण गुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुख अंकित आराजी वाके ग्राम गुगलकोटा तह.नीगराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि.वि.
1.	1. राजवीर पुत्र नत्थूरिंह जाति राजपूत साठदेह खातेदार।	2136/1	0.11	
		2137/1	0.09	
		2138/1	0.0350	
		2179/1	0.1150	
		2177/1	0.1350	
		किता 05	रकबा 0.4850	
		व ख.नं		
* 2181/1	0.1688			
	किता 05	रकबा 0.1688		

2. नया खाता निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं. 2181/2/0. 9112 मे से हिस्सा	ख.नं. 2136/2/0. 24, 2137/2/0. 20,2138/02/0. 0850, 2179/2/0. 2272, 2177/2/0. 1150, 2178/0.20 किता 06 रकबा 01. 0672 हेक्टर मे से हिस्सा।
1.	डिविया पुत्री मोतीरिंह	17/9112	49/10672
2.	नीतू पुत्री मोतीरिंह	17/9112	49/10672
3.	बाबूरिंह पुत्र नत्थूरिंह	1688/9112	2425/5336
4.	नगवानरिंह पुत्र नत्थूरिंह (मृत्यु हो चुकी है)	1688/9112	2425/5336
5.	रेखा कवर पत्नी मोतीरिंह	17/9112	49/10672
6.	राहुल पुत्र मोतीरिंह	17/9112	49/10672
7.	सुनीता पुत्री रतनी बाई	67/9112	97/5336
8.	सुमेरिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
9.	शिमूरिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
10.	हजारी रिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
11.	युनाईटेड भूमि सर्वेक्षण	5400/9112	निल

उक्तानुसार ही राजरव रिर्कोर्ड मे पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है, खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्या डिक्री जारी हो। पत्रावली फौरनलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/7/2023  
 मुकुंद (अधीकार) उपखण्ड अधिकारी  
 पदेन सहायक कलक्टर, नीगराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)  
पीठारीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या  
75/2019

रतू दिनांक  
18.03.2019

निर्णय दिनांक  
27.07.2023

रजग्वान

1 राजवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।  
वादी।

बनाम

- बाबूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- श्रीमती रूपवती पत्नी भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- सत्यपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- नामराज सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- वैदपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- उपदेश पुत्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह. नीमराना।
- हजारी सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- शिमूसिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- सुमेर सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- सुनीता पुत्री रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- रेखा केंवर पत्नी मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- राहुल पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- नीतू पुत्री मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- डिबिया पुत्री मोती सिंह पुत्र रतनी बाई पुत्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारोली तह. कोटपुतली।
- यूनाईटेड भूमी सर्विसेज प्रा० लि० जे० 1236 पालम विहार गुडगांव जरिये डायरेक्टर ए०के० शर्मा जाति ब्राह्मण सा० जे० 1236 पालम विहार गुडगांव, हरि०
- उपपंजीयक नीमराना।
- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।  
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 आर०टी०एक्ट०।

पर्चा डिक्री

वाद वादी वायत तकारामा आराजी यहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुख अकित आराजी वाके ग्राम गुगलकोटा तह नीमराना उनके कब्जे काशत खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :-


अधिकारी  
(अलवर)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि.वि.
1.	1. राजधर पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत साठपेड़ खातेदार।	2136/1	0.11	
		2137/1	0.09	
		2138/1	0.0350	
		2179/1	0.1150	
		2177/1	0.1350	
		किता 05	रकबा 0.4850	
		व ख.नं. 2181/1	0.1688	
	किता 01	रकबा 0.1688		

2 नया खाता निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं. 2181/2/0. 9112 में से हिस्सा	ख.नं. 2136/2/0. 24, 2137/2/0. 20,2138/02/0. 0850, 2179/2/0. 2272, 2177/2/0. 1150, 2178/0.20 किता 06 रकबा 01. 0672 हैक्टर में से हिस्सा।
1.	डिबिया पुत्री मोतीसिंह	17/9112	49/10672
2.	नीतू पुत्री मोतीसिंह	17/9112	49/10672
3.	बाबूसिंह पुत्र नत्थूसिंह	1688/9112	2425/5336
4.	भगवानसिंह पुत्र नत्थूसिंह (मृत्यु हो चुकी है)	1688/9112	2425/5336
5.	रेखा कवर पत्नी मोतीसिंह	17/9112	49/10672
6.	राहुल पुत्र मोतीसिंह	17/9112	49/10672
7.	सुनीता पुत्री रतनी बाई	67/9112	97/5336
8.	सुमेरसिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
9.	शिमूसिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
10.	हजारी सिंह पुत्र रतनी बाई	67/9112	97/5336
11.	युनाईटेड भूमि सर्विसेज	5400/9112	निल

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर  
अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं, खर्चा वाद-वादी स्वयं वहन करेगा।

  
 मुकुंद प्रसाद (अधिकारी)  
 उपर नौगराना (अलवर)  
 पदेन सहायक कलक्टर, नौगराना